दिनांक 08-09 जनवरी 2016 को वाल्मी औरंगाबाद में आयोजित जल उपभोक्ता समूहों के अध्यक्षों के द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन की संस्तुतियां

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा इंडियन नेटवर्क ऑन पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट द्वारा 08-09 जनवरी 2016 को वाल्मी , औरंगाबाद में महाराष्ट्र , गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा गोवा के जल उपभोक्ता समूहों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया . सम्मेलन का उदघाटन मा.राज्यमंत्री, प्रोफेसर संवरलाल जाट जी, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारत सरकार तथा समापन माननीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के कर कमलों द्वारा सम्पन्न किया गया. सम्मेलन में एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार व मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय जल मिशन, विशेष सचिव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार, केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष सहित वाल्मी औरंगाबाद के डायरेक्टर जनरल तथा संकाय के साथ कई विषय विशेषज्ञों कृषकों तथा अधिकारीयों ने भी भाग लिया.

सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों में से गोवा को छोड़कर अन्य राज्यों में सहभागी सिंचाई अधिनियम बन चुका तथा लागू हो चुका है . सम्मेलन के दूसरे दिन समूह चर्चा आयोजित की गई जिसमे अलग –अलग राज्यों के समूह बनाये गए जिनसे जल उपभोक्ता समूहों के कार्य करने में आ रही कठिनाइयों व उनके समाधान के बारे में चर्चा तथा प्रस्तुतीकरण कराये गए.

प्रतिभागियों द्वारा चर्चा / प्रस्तुतीकरण में निम्न मांग / संस्तुतियाँ की गयी :

1. सभी राज्यों के प्रतिभागियों का मत था कि जिन प्रदेशों में सहभागी सिंचाई अधिनियम नहीं है , वहां प्रदेश सरकारों द्वारा सहभागी सिंचाई अधिनियम

बनाया जाये और लागू किया जाये ताकि जल उपभोक्ता समितियों को नहर कमान में जल प्रबंधन के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हो सकें.

2. जहाँ सहभागी सिंचाई अधिनियम तथा तत्संबंधी नियम बन चुके हैं, उनमे अनुभव जन्य कठिनाइयों के आधार पर सुधार करने और पिम की भावना के अनुरूप लागू किये जाने की आवश्यकता है.
3. कृषि विभाग, सहकार विभाग, सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास विभाग आदि में आपसी ताल मेल का अभाव है. इन सभी विभागों को जल उपभोक्ता समिति को सहयोग देने की व्यवस्था होनी चाहिए.
4. जल उपभोक्ता समितियों को आयतन आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित दर पर पानी दिया जाना चाहिये तथा आउटलेट / मोगे से नीचे जल दर निर्धारण तथा वसूली का कार्य समितियों को ही सौंपा जाना चाहिए.
5. समितियों को स्थानांतरित नहरें डिजाईन के अनुरूप पानी ले सकने में समर्थ तथा ठीक दशा में होनी चाहिए.
6. कमान क्षेत्र में स्थित जलाशय के मत्स्य व्यवसाय के ठेके जल उपभोक्ता समितियों को देने चाहिये ।
7. कृषि में मूल्यवर्धन व्यवसाय योजना जैसे की दालमिल , धानमिल, पोली हाउस , कोल्ड स्टोरेज, सब्जी निर्जलिकरण इत्यादि का लाभ जल उपभोक्ता समितियों को प्रधान रूप से मिलना चाहिए.
8. नहर प्रणाली पर मरम्मत तथा अनुरक्षण का काम केवल जल उपभोक्ता समितियों से ही कराया जाये तथा इस हेतु उनके वित्तीय स्वावलंबन को सुदृढ़ किया जाए.
9. जल उपभोक्ता समितियों को प्राप्त होने वाले सरकारी अनुदान , जल दर वसूली का अंश , तथा अन्य वित्तीय सहायतायें समय से उपलब्ध कराई जाएँ.

10. सभी कृषकों विशेषतः जल उपभोक्ता समितियों के पदाधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदेश/ केंद्र सरकार द्वारा की जाये.
11. प्रशिक्षण को उपयोगी बनाने में प्रदेश वाल्मी, कृषि विश्वविद्यालय, के ० वी० के ० तथा इंडियनपिम का सहयोग लिया जाए.
12. जल उपभोक्ता समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिए कृषक सदस्य की पत्नी / बेटी को स्वतः सदस्यता का प्राविधान किया जाए.
13. जल उपभोक्ता समितियों तथा पिम के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष अनुश्रवण एवं सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किया जाये.